राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध मूल वाद संख्या – 44 / 2020
तारीख दायरा – 21 / 12 / 2020

प्रार्थी :–

1. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी)

अप्रार्थीगण :–

1. जगदीश पुत्र रूपचंद।
2. दिलीप कुमार पुत्र रूपचंद जाति–सोनी निवासी–देसूरी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री ईश्वरसिंह नायब तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।
2. श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक :– 30/7/2021

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 2410 / 1 रकबा 0.20 हेक्टर किस्म गे0मु0 आबादी भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 बिना संपरिवर्तन कराये वाणिज्यिक उपयोग में ले रहे है। राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार अप्रार्थीगण गे0मु0 आबादी के खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण जगदीश कुमार, दिलीप कुमार पिता रूपचंद द्वारा वृद्धावन होटल के रूप में संचालित है एवं अप्रार्थीगण से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दस्तावेजात अनुसार बाबूसिंह, रमेश सिंह, अमरसिंह पिता वक्तावर सिंह राजपुरोहित निवासी ढालोप द्वारा प्लोट संख्या 6, 7, 8 व 35 क्रय की गई है। जिसमे भगवती रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाऊस संचालित है जो उक्त खसरे का हिस्सा है। भूमि गै.मु. आबादी भूमि दर्ज है जिसे अप्रार्थीगण एवं अन्य क्रेतागण बिना अनुमति से वृद्धावन होटल एव भगवती रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाऊस संचालित होने से ... काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है।

अतः इनके विरूद्ध वर्णित भूमि को ... करते हुए बेदखल के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी, मौकाफर्द, नक्शा, रजिस्टर्ड दस्तावेज की फोटो प्रतिमा संलग्न प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं जवाब बंद किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) द्वारा दिनांक 30.07.2021 को प्रस्तुत प्रकरण विड्रो किये जाने बाबत् इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा ग्राम देसूरी स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2410/1 रकबा 2.20 हेक्टर किस्म गै.मु. आबादी भूमि है। अप्रार्थीगण द्वारा वर्णित भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग में अर्थात वृद्धावन होटल के रूप में संचालित किये जाने एवं इसी खसरे का हिस्सा जिसमें बाबूसिंह, रमेशसिंह, अमरसिंह पिता बखतावरसिंह राजपुरोहित साकिन ढालोप द्वारा भगवती रेस्टोरेन्ट एवं गेस्ट हाऊस संचालित होने से इस कार्यालय द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

अप्रार्थीगण द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : राजस्व/90 दिनांक 22.07.2003 के द्वारा उक्त कृषि भूमि का आवासीय रूपान्तरण करा दिये जाने से उक्त प्रस्तुत प्रकरण को विड्रो किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रार्थना–पत्र संलग्न पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार देसूरी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विड्रो किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.07.2021 का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन करने उपरोक्त विवेचन एवं अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का आवासीय रूपान्तरण कराये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को विड्रो किये जाने बाबत् अनुशंषा प्रार्थना–पत्र के मध्यनजर प्रकरण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है।

अप्रार्थीगण को सूचित किया जाता है कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कार्यवाही करने हेतु सक्षम कार्यालय में प्रकरण प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

आदेश आज दिनांक 30/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested